	समय हो जाने ... पुनः वादपत्र पर बहस हेतु दिनांक 9.1.23 को पत्रावली पेश हो।	
9/1/23	पत्रावली पेश हुई। P.O साहब दौरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 6.2.23 को पेश हो।	
06/02/23	पत्रावली पेश हुई वादी पेरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी वकील की वादपत्र पर बहस सुनी गयी। वादी व प्रतिवादी को वादपत्र पर सुनने के पश्चात वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63(1)(5) आर·टी· एक्ट 1955 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नीमोरा तह: बस्सी के ख·नं· 12/1 रकबा 4.3499 हैक्टर किस्म चाही व ख·नं· 21/4 रकबा 0.0379 हैक्टर किस्म चाही 1 कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। वादपत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादी खातेदार को राज्य सरकार जो भूमि की वास्तविक मालिक	

2021/289

फर्द अहकाम

सरकार बनाम रघुवीर सिंह

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 150/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	है, जो भूमि सिंचित या असिंचित भूमि मे फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपयोग करने हेतु दी गई है जिसे करने के लिए खातेदार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यो या उपयोग मे लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग मे लिया जा सकता है। वादपत्र मे वर्णित भूमि पर प्रतिवादी खातेदार बिना अनुमति प्राप्त किए ही प्राप्त अधिकारो के विपरीत अकृषि कार्य जिसमे भूमि पर दुकानो का निर्माण कर (वाणिज्यक) प्रयोजनार्थ उपयोग मे ली जा रही है। जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादपत्र मे वर्णित भूमि पर कृषि भूमि खातेदार ने बिना अधिकार के शर्तों का उल्लंघन करते हुऐ भूमि की किस्म एवं प्रकृति बदल दी है व कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यकर क्षति पंहुचाई है, ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी के कब्जे मे उक्त भूमि को छोडा जाना उचित नही है, क्योंकि खातेदार प्रतिवादी कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने के फलस्वरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार बेदखली योग्य हो गये है प्रतिवादी द्वारा उक्त वर्णित	

2021/289

फर्द अहकाम

सरकार बनाम रघुवीर सिंह

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 158/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		कृषि करने पर विवादित भूमि की उनके खातेदारी अधिकार से हटायी जाने योग्य हो गये है एवं बेदखली होने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकारों के अवसान किये जाने योग्य हो गये है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि ख.नं. 12/1 रकबा 4.3499 हैक्टर, ख.नं. 21/4 रकबा 0.0379 हैक्टर स्थित ग्राम निमोरा तह. बस्सी जि. जयपुर को प्रतिवादी की खातेदारी से हटाई जाकर राजकीय सिवायचक भूमि घोषित की जावे एवं प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावें। प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने उक्त वादपत्र का जवाब नही देकर बहस हेतु निवेदन किया। वादी एवं प्रतिवादी की उक्त वादपत्र पर बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का एवं उभयपक्षो को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि ख.न. 12/1 रकबा 4.3499 हैक्टर, ख.न. 21/4 रकबा 0.0379 हैक्टर स्थि[त] ग्राम नीमोरा तह. बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध मे तहसीलदार बस्सी के पत्रांक 397/दिनांक 07/07/2022 की रिपोर्ट के आधा[र] पर ख.न. 12/1 रकबा 4.3499 हैक्टेयर	

2021/289

फर्द अहकाम

सरकार बनाम रघुवीर सिंह

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 158/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		भूमि में से उपखण्ड अधिकारी बस्सी के आदेश क्रमांक संपरिवर्तन/2021/670 दिनांक 05/07/2021 के अनुसार 2000 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है एवं 2350 वर्ग मीटर भूमि आई आर डी से प्रभावित खातेदारी मे रहेगी जिसकी प्रति वादपत्र मे संलग्न है एवं शेष भूमि खाली होना दर्शाया गया है उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी की खातेदारी भूमि से हटाई जाकर सिवायचक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63(1)(5) R.T. Act 1955 की परिधि मे नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह. बस्सी जिला जयपुर।		1. श्री रघुवीरसिंह पुत्र ठाकुर शिवकल्याण जाति राजपूत निवासी ग्राम नीमोरा हाल निवासी बांसखोह भवन, गोविन्द नगर पूर्व, गंगापोल जयपुर जिला जयपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63(1)(5)आरटीएक्ट 1955

मु0न0 158/21

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63(1)(5)आरटीएक्ट 1955 की परिधि नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। ......निजी.................मुबलिक..................
बत...................................खर्चा....................................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..........
...फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक........................को अदा करें।
सख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.02.2023 को जारी किया गया।

हर

दस्तख्त...................................

हदा..............................

दई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
म्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
म्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
म्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
न्ता वकील			महन्ता वकील		
र्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
स कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बत इजराय			बाबत इजराय		
मनामा			हुक्मनामा		
फरिक			मुतफरिक		
जान			मीजान		

ट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर,
बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner